

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक...../पटना, दिनांक.....
03/सह.ब.यो.(आवंटन)-02/2025

प्रेषक,

अभय कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

विषय:— वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत 08 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति (PVCS) में आधारभूत संरचना को विकसित करने हेतु प्रति PVCS रु० 1,14,30,561/- (एक करोड़ चौदह लाख तीस हजार पाँच सौ एकसठ) की दर से कुल राशि रु० 6,85,83,366/- (छः करोड़ पचासी लाख तेरासी हजार तीन सौ छियासठ) रुपये का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-219, दिनांक-16.07.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम मद में निम्नांकित बजट शीर्ष के सामने कॉलम-03 में अंकित राशि का आवंटन दिया जाता है:—

क्र. सं.	बजट शीर्ष	आवंटित राशि (रूपये में)
1	2	3
1.	मांग संख्या-09, मुख्य शीर्ष-2425 सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-108-अन्य सहकारी समितियों को सहायता, उप शीर्ष-0116-सब्जी आधारित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन, विपत्र कोड- 09-2425001080116 विस्तृत शीर्ष-31-सहायता अनुदान, विषय शीर्ष-05-सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण	3,84,06,685/- (तीन करोड़ चौरासी लाख छः हजार छः सौ पचासी) रु०
2.	मांग संख्या-09, मुख्य शीर्ष-2425 सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0103-सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विपत्र कोड-09-2425007890103 विस्तृत शीर्ष-31-सहायता अनुदान, विषय शीर्ष-05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण	73,15,559/- (तिरहत्तर लाख पन्द्रह हजार पाँच सौ उन्सठ) रु०
3.	मांग संख्या-09 अंतर्गत मुख्य शीर्ष-4425-सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-108-अन्य सहकारी समितियों में निवेश, उप शीर्ष-0166-सब्जी आधारित सहयोग समितियों का प्रोत्साहन, विपत्र कोड -09-4425001080166, विस्तृत शीर्ष-54-निवेश, विषय शीर्ष-01-निवेश।	1,92,03,342/- (एक करोड़ बानवे लाख तीन हजार तीन सौ बयालीस) रु०

4.	मांग संख्या-09 अंतर्गत मुख्य शीर्ष-4425-सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0103-सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विपत्र कोड -09-4425007890101, विस्तृत शीर्ष-54-निवेश, विषय शीर्ष-01-निवेश।	36,57,780 / - (छत्तीस लाख सन्तावन हजार सात सौ अस्सी) रु०
	योग	रु० 6,85,83,366 / - (छः करोड़ पचासी लाख तेरासी हजार तीन सौ छियासठ)

2. उपर्युक्त आवंटन वित्त विभाग के पत्र सं०-227 / वि०, दिनांक-28.03.2025 के अंतर्गत बिहार विनियोग (संख्या-02) अधिनियम, 2025 एवं वित्त विभाग के पत्र संख्या-235 / वि० दिनांक-01.04.2025 के आलोक में दिया जा रहा है। वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.1998 में निहित शर्तों / अनुदेशों का अनुपालन किया जाना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवश्यक होगा।

3. आवंटित राशि का नियमानुसार व्यय करते हुए उक्त का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह० / -

(अभय कुमार सिंह),

सरकार के अपर सचिव।

प्रतिलिपि:- ज्ञापांक-..... / पटना, दिनांक-.....
महालेखाकार, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफा में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / -

सरकार के अपर सचिव।

प्रतिलिपि:- ज्ञापांक- 34(आ०) / पटना, दिनांक- 01/08/2025
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सं०स०, बिहार, पटना / उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / आंतरिक वित्तीय सलाहकार / विपत्र लिपिक, कार्यालय निबंधक, सं०स०, बिहार, पटना (दो मूल प्रतियों में) / विभागीय आई०टी० मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।